भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2544

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: परम्परागत कृषि विकास योजना की स्थिति

2544. श्री राजू बिष्टः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2025-26 तक पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कुल कितनी भूमि को जिला-वार जैविक खेती के दायरे में लाया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में पीकेवीवाई के तहत केंद्रीय धन का आवंटन, जारी और उपयोग किए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत कौन-सी विशिष्ट क्षेत्र गतिविधियाँ शुरू की गई हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पश्चिम बंगाल में परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के तहत 45795.43 हेक्टेयर भूमि लाई गई है। परम्परागत कृषि विकास योजना के जिलेवार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय फंड का विवरण इस प्रकार है:

लाख रुपये में

(ग) परम्परागत कृषि विकास योजना जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण,

वर्ष	आवंटन	जारी	व्यय
2023-24	2001.00	1717.00	1082.80
2024-25	1495.80	1120.75	908.00
2025-26	766.00	689.00	537.00
कुल योग	4262.80	3526.75	2527.80

प्रमाणीकरण और विपणन तक आद्योपांत सहायता प्रदान करने पर बल देती है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाकर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से जैविक खाद सहित ऑन फार्म/ऑफ फार्म जैव-इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्यवर्धन आदि के लिए 3 वर्षों में 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रमाणन के लिए 3 वर्षों में 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए भी 3 वर्षों में 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।
